

एल्डरमैन

प्रलिस के लयः

एल्डरमैन, [लेफ्टनैंट-गवरनर](#), [MCD](#), दल्लल नगर नगल अधनलयन-1957, संवधान का [अनुच्छेद 239AA](#), कार्य संचालन नलय 1961

मेन्स के लयः

दल्लल में एल्डरमैन की नयुकृता का मुददा

चर्चा में क्यों?

सरवोच्च न्यायालय ने [उपराज्यपाल](#) द्वारा एल्डरमैन की नयुकृता के खललफ दल्लल सरकार द्वारा दायर की गई याचका पर वचार करते हुए कहा का उपराज्यपाल का सदस्यों को नामतल करने का अधिकार नरलवाचतल [दल्लल नगर नगल](#) को असृथर कर सकता है ।

एल्डरमैन:

परचयः

- व्युत्पन्न रूप से यह शबद "एल्डर" और "मैन" के संयोजन से बना है जसका अरथ है वृद्ध व्यकृता या अनुभवी व्यकृता है ।
- यह शबद मूल रूप से एक **कबीले या जनजात के बुजुर्गों के लयल** संदरभतल था, हालॉक जलद ही यह उमर पर वचार कयल बनलराजा के वायसराय के लयल एक शबद बन गया । साथ ही इसने नागरकल और सैन्य दोनों करतव्यों वाले एक अधिकल वशलषलट शीरषक- **एक काउंटी के मुख्य मजसलट्रेट**" को नरूपतल कयल ।
- 12वीं सदी CE में जैसे-जैसे संघ नगरपालका सरकारों के साथ तीव्रता से जुड़ते गए, इसशबद का प्रयोग नगर नकलयों के अधिकारलयों के लयल कयल जाने लगा । यही वह अरथ है जसको **आज तक प्रयोग कयल जाता है** ।

दल्लल के संदरभ में:

- [दल्लल नगर नगल अधनलयन, 1957](#) के अनुसार, 25 वर्ष से अधिकल आयु के दस लोगों को उपराज्यपाल (LG) द्वारा नगल में नामतल कयल जा सकता है ।
- इन लोगों से नगरपालका प्रशासन में **वशलष ज्ञान या अनुभव की अपेक्षा** की जाती है ।
- वे सार्वजनकल महत्त्व के नरलय लेने में **सदन की सहायता** करते हैं ।

एल्डरमैन की नयुकृता से संबंधतल चतलएँ

- पहली चतल नामतल व्यकृतलयों की उपयुकृता से संबंधतल है । उपराज्यपाल को सफलरलशें सॉपे जाने के बाद यह पता चला का **10 नामांकतल व्यकृतलयों में से दो को तकनीकी रूप से पद के अनुपयुकृत माना गया था** । यह नामांकन प्रकृता की संपूरणता और पारदरशातल पर सवाल उठाता है क्योंकि ऐसे व्यकृतलयो इस भूमका के लयल योग्य या उपयुकृत नहीं हैं, उन्हें नयुकृत नहीं कयल जाना चाहयल ।
- दूसरी चतल इस धारणा के इरद-गरलद घूमती है का उपराज्यपाल द्वारा एल्डरमैन की नयुकृता दल्लल नगर नगल (**Municipal Corporation of Delhi- MCD**) के भीतर चुनाव में पराजतल दल के नरलयंरण और प्रभाव को बनाए रखने का एक प्रयास है । यह दल्लल नगर नगल के भीतर प्रतनलधलतलव के लोकतांत्रकल सलदधांतों तथा शकृतलयों की गतशीलता की नषलपकृषता के संबंध में चतल को दरशाता है ।

सरवोच्च न्यायालय का पकषः

- उपराज्यपाल का प्रतनलधलतलव करने वाले अतरकलत **सॉलसलटर जनरल** ने तरक दयल का [संवधान के अनुच्छेद 239AA](#) के तहत उपराज्यपाल की शकृतलयों और राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासक के रूप में उनकी भूमका के बीच अंतर है । उन्होंने दावा कयल का कानून के आधार पर एल्डरमैन के नामांकन में उपराज्यपाल की सकरयल भूमका है ।
- हालॉक सरवोच्च न्यायालय ने कहा का उपराज्यपाल को शकृतल देकर यह लोकतांत्रकल रूप से नरलवाचतल **MCD** को संभावतल रूप से असृथर कर सकता है क्योंकि उनके पास मतदान की शकृतल होगी ।

- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उपराज्यपाल के पास राष्ट्रीय राजधानी में व्यापक कार्यकारी शक्तियाँ नहीं हैं, जो शासन के अद्वितीय "असममति संघीय मॉडल" के तहत संचालित होती हैं।
 - यह शब्द "असममति संघीय मॉडल" शासन की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें एक संघ के भीतर विभिन्न क्षेत्रों या घटकों के पास स्वायत्तता एवं शक्तियों का अलग-अलग क्षेत्राधिकार होता है।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उपराज्यपाल अनुच्छेद 239AA(3)(A) के तहत केवल तीन विशिष्ट क्षेत्रों में अपने वक्त से कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कर सकता है:
 - सार्वजनिक व्यवस्था
 - पुलिस
 - दिल्ली में भूमि
- न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रपरिषद से असहमत है, तो उसे लेन-देन के कार्य (Transaction of Business- ToB) नियम 1961 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
 - लेन-देन के कार्य (Transaction of Business- ToB) नियम संविधान के अनुच्छेद 77(3) का भाग है, जो सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के मध्य कार्य एवं ज़िम्मेदारियों के आवंटन के लिये एक रूपरेखा प्रदान करे है। ये नियम सरकारी नीतियों के निर्माण, नरिणयों और कार्यों, अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिये प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने में सहायक होते हैं।

दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच क्या मतभेद है?

- प्रश्नभूमि:
 - अनुच्छेद 239 और 239AA के सह-अस्तित्व के कारण NCT की सरकार और केंद्र सरकार तथा उसके प्रतिनिधि के रूप में उपराज्यपाल के मध्य एक न्यायिक संघर्ष की स्थिति रही है।
 - केंद्र सरकार का मानना है कि नई दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है एवं अनुच्छेद 239 उपराज्यपाल को यहाँ की मंत्रपरिषद से स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार देता है।
 - जबकि दिल्ली की राज्य सरकार का मानना है कि संविधान का अनुच्छेद 239AA दिल्ली में विधायी रूप से नरिवाचित सरकार होने का विशेष दर्जा देता है।
 - यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल और राज्य सरकार की प्रशासनिक शक्तियों के मध्य विवाद की स्थिति को पैदा करता है।
- केंद्र और राज्य सरकारों के तर्क:
 - केंद्र सरकार का मानना है कि क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और देश का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिये नयुक्तियों एवं तबादलों सहित प्रशासनिक सेवाओं पर केंद्र का अधिकार होना चाहिए।
 - हालाँकि दिल्ली सरकार का तर्क है कि संघवाद की भावना में नरिवाचित प्रतिनिधियों के पास स्थानांतरण और नयुक्तिपर नरिणय लेने की शक्ति होनी चाहिए।
- कानूनी मुद्दे :
 - फरवरी 2019 में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच शक्तियों के आवंटन पर नरिणय लेते समय यह मुद्दा सामने आया था।
 - उन्होंने प्रशासनिक सेवा नयित्रण के सवाल को बड़ी बेंच द्वारा तय किये जाने के लिये छोड़ दिया था।
 - केंद्र सरकार की याचिका पर मई 2022 में तीन जजों की बेंच ने इस मामले को बड़ी बेंच को रेफर कर दिया था।
 - तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने नरिणय लिया था कि प्रशासनिक सेवाओं पर नयित्रण के प्रश्न को "पुनः समीक्षा" की आवश्यकता है।
 - दूसरे मुद्दे में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021 शामिल है।
 - अधिनियम में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में उल्लिखित "सरकार" शब्द उपराज्यपाल को संदर्भित करेगा।

स्रोत: द हिंदू